न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 89 / 2022	2022 / 160	21.04.2022	27.05.2024

1. हेतराम पुत्र नत्थाराम, जाति चांदौर, निवासी ग्राम मौजपुर, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।
2. नत्था उर्फ नत्थाराम पुत्र खैराती, जाति चांदौर, निवासी ग्राम मौजपुर, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

--अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर।

-- रेस्पाडेंट

अपील विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण संख्या 19/19 न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ अलवर निर्णय दिनांक 22.03.2022 कि बाबत्।

उपस्थितः-
01-श्री लाखन सिंह नरूका -वकील अपीलान्ट

-:निर्णयः-

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ अलवर निर्णय दिनांक 22.03.2022 मुकदमा संख्या 19/19 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट अंतर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 जरिये पत्रांक 120 दिनांक 03.03.2017 पेश कर गैरसायल द्वारा राजस्व ग्राम रूंध मौजपुर के खसरा न0 7 जो राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी संवत 2053 से 2056 तक महकमा जंगलात के नाम दर्ज है कि 02 बीघा वन भूमि पर गेंहू व सरसों की फसल बो कर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रकरण पेश किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ ने उक्त रिपोर्ट के साथ वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का विवरण मौका नक्शा पंचनामा, नक्शा रूंध मौजपुर दी अलवर स्टेट फोरेस्ट सैटलमेंट रिपोर्ट 1947 की आंशिक छायाप्रति व खसरा गिरदावरी रूंध, मौजपुर संवत 2053-56 संलग्न कर प्रस्तुत किया संलग्न मौका पंचनामा दिनांक 24.02.2017 के अनुसार उक्त भूमि पर से उप वन संरक्षक अलवर द्वारा पूर्व में दिनांक 25.10.2016 को अतिक्रमण रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण संख्या 20/17 दिनांक 03.03.2017 दर्ज कर उसे नोटिस जारी किये

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

जिस पर गैरसायल स्वयं उपस्थित हुआ तथा अपना जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम रूंध मौजपुर की आलोच्य भूमि 1967 से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में व विभाग के नाम दर्ज थी जो कि राज्य सरकार के पत्रांक एफ 6 (272) रेव.60 दिनांक 23.06.1967 की पालना में इसमें से 293 बीघा भूमि वन विभाग के प्रतिनिधि क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ द्वारा राजस्व तहसीलदार लक्ष्मणगढ को दिनांक 25.08.1970 को संभलवा दी गई उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि दिनांक 09.08.1970 तहसीलदार लक्ष्मणगढ रामजीलाल बटाईदार को आवंटित की गई जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण दिनांक 16.09.1977 को उसके नाम स्वीकृत हुआ जिस पर अदालत मातहत द्वारा बहस सुन कर दिनांक 21.07.2017 को आदेश पारित किये जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 21.07.2017 की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के यहां प्रस्तुत की जिस पर अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 20.11.2019 को अपील स्वीकार कर ग्राम रूंध मौजपुर की 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ अलवर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ को हस्तानान्तरित की गई भूमि के संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के परिपेक्ष में जांच कर इस न्यायालय के आदेश को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के लिए रिमान्ड किया जिस पर न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ अलवर द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील निम्न वजूहातों के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अदालत मातहत ने रिमाण्ड के निर्देशों की उपेक्षा की है व अपने समस्त निर्णय में राज्य सरकार के आदेश एफ 6 (272) रेव.69 दिनांक 23.06.1967 का उल्लेख जानबूझकर नही किया क्योंकि इस आदेश से राज्य सरकार ने उक्त रूंध मौजपुर की 293 बीघा भूमि को वन विभाग से राजस्व में परिवर्तित किया है और दिनांक 25.08.1970 को क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ ने उक्त परिवर्तित भूमि का कब्जा तहसीलदार लक्ष्मणगढ को सम्भलवाया है। इसके बाद भूमि वन भूमि से राजस्व में रूपांतरित हो गई जिस पर टिनेंसी एक्ट की धारा 16 लागू नहीं होती है। अदालत मातहत ने बार–बार अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय रिट पिटिशन संख्या 202/1995 निर्णय दिनांक 12/12/2016 को उत्कृष्ट करता है उक्त निर्णय वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 पर आधारित है जबकि अपीलांट का आवंटन सन 1970 का है। जब वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 प्रभाव में ही नहीं था और राज्य सरकार को भूमि की किस्म परिवर्तन कर पूर्ण अधिकार था। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के उपसचिव ने दिनांक 01.07.1970 को क्रमांक 7 (202) न0 आदेश जारी कर ग्राम सैयद मौजपुर रूंध की 293 बीघा भूमि को वन विभाग से राजस्व में परिवर्तन करने बाबत् आदेश जारी किया जिस आदेश के तहत दिनांक 25.08.1970 को वन क्षेत्रीय अधिकारी राजगढ द्वारा 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि तहसीलदार लक्ष्मणगढ को संभलवाया और इस तरह उक्त रकबा जिसकी बाबत अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय व्यक्ति की विधिक हैसियत में कोई अंतर नही आता है। राज0 वन अधिनियम 1953 की धारा 3 राज्य सरकार का यह अधिकार देती है कि वह किसी भी भूमि को धारा 4 राज0 वन अधिनियम कि तहत अधिघोषणा जारी कर वन क्षेत्र घोषित कर सकती है अपीलांट को जो आवंटन हुआ है वह रकबा आज दिनांक तक इन प्रावधानों के तहत अधिसूचित वन क्षेत्र की श्रेणी में नही आता है। अलवर स्टेट फोरेस्ट सैटलमेंट रिपोर्ट 1947 जिसका जिक्र अदालत मातहत ने अपने निर्णय में किया है वह रिपोर्ट किसी भी तरह राज0 सरकार द्वारा अधिसूचित होने की श्रेणी में नही आती

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

क्योंकि राज0 वन अधि0 की धारा 2(5) में राज्य सरकार से आशय राजस्थान सरकार माना गया है। ना की आजादी से पूर्व प्रचलित शासन व्यवस्था को सरकार का दर्जा दिया गया है। रूंध मौजपुर में स्थित भूमि जो पूर्व में महकमा जंगलात में रही है। उसका 44.88 है0 रकबा में हाल में गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केन्द्र स्थित है और पूर्व में यह भूमि पंचायत समिति लक्ष्मणगढ के कृषि फार्म के रूप में विकसित थी। एक ही तरह की आराजी में से कुछ आवंटियों जैसी कैलीराम पुत्र बस्तीराम, पलपू पुत्र नत्था, इमरत व बबलू पुत्र हरदेव धन्नीराम आदी सहित को भूमि का स्वामित्तव (खातेदारी) दिया जाना और मिन अपीलांट को उसी रकबे पर अतिकमी कहा जाना दोनों गम्भीर रूप के विधिक भेदभाव का घोतक है जो भारी कानूनी असमानता पैदा करती है। इस प्रकार अपीलांट को भी नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है व बाद आवंटन अपीलांट के हक में इंतकाल किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अपीलांट को आवंटन तहसीलदार अलवर द्वारा किया गया है जो आवंटन करीब 54 वर्ष पूर्व हुआ है। ऐसी सूरत में अपीलांट पिछले काफी लम्बे समय से राजस्व विभाग की फुटिंग पर काबिज है और राजस्व विभाग द्वारा किये गये आवंटन के पश्चात अपनी काश्त कर रहा है। ऐसी सूरत में तहसीलदार लक्ष्मणगढ भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार जिसे अदालत मातहत द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो एक अहम कानूनी व विधिक खामी है जिस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इससे पूर्व मिन अपीलांट के विरूद्ध कोई बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया है जो अपीलांट के मामले में लागू नहीं है क्योंकि प्रश्नगत भूमि राज0 वन अधि0 के तहत वन के रूप में अधिसूचित भूमि नहीं है। लिहाजा ऐसी भूमि को वन संरक्षित भूमि की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। उक्त अधि0 1980 में लागू किया गया है जबकि अपीलांट को आवंटित भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु राज0 सरकार द्वारा सन् 1970 में ही आदेश जारी कर दिए गए थे। ऐसी सूरत में वन (संरक्षण) अधि0 1980 अपीलांट की भूमि पर लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में धारा 16(10) राज0 काश्तकारी अधि0 1955 का उल्लेख किया है। इस धारा में वे ही भूमि सम्मलित कि जा सकेगी जिस भूमि को राज0 सरकार राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 3 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर अधि0 की धारा 4 में अधिसूचित करे चूकि इस भूमि को राज0 वन अधि0 के तहत वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(10) लागू नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय भू आवंटन के लम्बे अन्तराल पश्चात भी खातेदारी नहीं होने को भी अपने निर्णय का आधार बनाया है जबकि खातेदारी देना राजस्व विभाग का कार्य है। मिन अपीलांट की चाहत पर कोई खातेदारी प्रोद्भूत नहीं हो सकती है। खातेदारी गैरखातेदारी से व्यक्ति की विधिक हैसियत में कोई अंतर नहीं आता है। लिहाजा इस आधार अपीलांट को अतिकमी करार दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ अलवर का निर्णय दिनांक 22.03.2022 निरस्त किए जाने के आदेश सादर फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अवगत करवाया कि विवादित आराजी नं0 7 जिसमें कुछ भाग (4 बीघा) पर अपीलान्ट का कब्जा है। वह भूमि अपीलान्ट को दिनांक 09.08.1970 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा आवंटन की गई थी एवं दिनांक 16.09.1977 को नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया था। लेकिन उक्त रिकॉर्ड जमाबन्दी में नहीं आया। हमारे विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की जावे। हम आवंटनशुदा जमीन पर काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उनकी रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड के अनुसार आराजी नं0 7 महकमा जंगलात के नाम ही है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ही न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ द्वारा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट का यह है कि आवंटनशुदा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में कहीं अंकन नहीं है। इस बाबत अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोरी कर सकता है। वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है वह उचित है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)